आदेश की क्रम सं० एव तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

30/1/25

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की,विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर०वाद सं०-994/2003-04

महादेव उराँव,.....आवेदक

बनाम्

(1) अब्दुल कलाम,
(2) श्रीमती विद्या देवी,
(3) मो० नेसार अहमद, ...विपक्षीगण

आदेश

आवेदक महादेव उराँव, पिता–स्व० भादे उराँव, निवास ग्राम–हरमु बस्ती, थाना–अरगोड़ा, जिला–राँची द्वारा जमीन वापसी हेतु यह वाद दायर किया गया है। आवेदक ने आरोप लगाया है कि उनकी जमीन विपक्षीगण (1) अब्दुल कलाम, पिता–अब्दुल वाहिद अली, (2) विद्या देवी, पति–वृजनन्दन प्रसाद वर्मा, (3) मो० नेसार अहमद, पिता–स्व० मो० ईशाक सभी निवासी ग्राम–हरमु हाऊसिंग कॉलोनी, थाना–अशोक नगर, जिला–राँची द्वारा छल–प्रपंच से हड़पकर दखल कर लिया है।

जमीन का विवरण

ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा
हरमु	206	56	631	14 डी०
				03 डी०
कुल रकबा–				17 डी०

आवेदक ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि भूमि अनुसूचित जनजाति की है। खतियान में भोसा उराँव, गंदुरा उराँव का नाम कायमी दर्ज है। भोसा उराँव अपने पीछे बुधु उराँव, राम उराँव, घसिया उराँव (नावल्द) भादे उराँव को छोड़ गये। बुधु उराँव अपने पीछे मंगरा उराँव (नावल्द), भौवा उराँव को छोड़ गये। मंगरा उराँव अपने पीछे ढेडू उराँव को छोड़ गये। भौवा उराँव अपने पीछे छोटू उराँव को छोड़ गये।

30/1/25

कृ०पृ०उल्टे

30/1/25

राम उराँव अपने पीछे वाल्टर उराँव एवं जेमे उराँव को छोड़ गये। भादे उराँव अपने पीछे महादेव उराँव (आवेदक) को छोड़ गये। आवेदक का कहना है कि विपक्षीगण नजायज तरीके से भूमि पर कब्जा कर लिया। आवेदक खतियानी रैयत के वंशज है।

आवेदक की ओर से चार गवाह प्रस्तुत किये, गवाह सं०–01 निकोलस वेग कहते है कि भूमि अब्दुल कलाम और विद्या देवी के कब्जे में है। अब्दुल कलाम के कब्जा में 14 डिसमिल है एवं विद्या देवी के कब्जे में 03 डिसमिल है। खतियान में भोसा उराँव का नाम दर्ज है। ये अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि अब्दुल कलाम 30–40 वर्षो से दखल–कब्जा किये हुए हैं। गवाह सं०–02 राजु तिग्गा अपने गवाह में कहते हैं कि भोसा उराँव आवेदक के दादा है। ये अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि अब्दुल कलाम एवं विद्या देवी को 04–05 वर्षो से जानता हूँ। गवाह सं०–03 नन्दु उराँव कहते हैं कि तकरारी भूमि हरमु में है, विपक्षी दखलकार है। यह अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि विपक्षीगण को 04–05 वर्षो से जानता हूँ। मुझे मालूम हैं कि 1946 से अब्दुल कलाम के दखल में जमीन है। गवाह सं०–04 महादेव उराँव कहते हैं कि भोसा उराँव मेरे दादा हैं, रसीद हमलोगों के नाम पर कटता है। यह अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं जमीन के कुछ हिस्से में विपक्षीगण का मकान बना हुआ है। आवेदक की ओर से खतियान की छायाप्रति तथा अंचल रसीद की छायाप्रति दाखिल की गई है।

विपक्षीगण सं०–01 अपने कारणपृच्छा में कहते हैं कि आवेदक द्वारा लाया गया यह वाद छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–71 "A" के अंतर्गत चलने योग्य एवं पोषणीय नहीं है तथा कालबाधित भी है। विपक्षीगण 1946 से ही घर–मकान बनाकर रह रहें हैं। आवेदक के पिता भादे उराँव और इनके भाई वर्णित भूमि से 17 डिसमिल जमीन अब्दुल कलाम को 1946 में बेच दिया। इसके बाद मुंसिफ न्यायालय, राँची में टाईटल सूट वाद चला, जिसका टाईटल सूट वाद सं०–625/1961 है, इसमें डिक्री द्वितीय पक्ष के पक्ष में आया। विपक्षी वर्णित भूमि पर घर–मकान बनाकर रहने लगें, जिसपर लगभग 30,000 रूपया खर्च हुआ। अब्दुल कलाम ने वर्ष 1985 में मो० नेसार अहमद को Oral Gift 05 कट्ठा 05 छटाक, 35 वर्गफिट दे दिया। इसके उपरांत मो० नेसार अहमद घर–मकान

Mi-J 30/01/25

30/1/25

बनाकर वर्णित भूमि पर रहने लगें। अतः विपक्षी सं०–01 का वर्णित भूमि पर टाईटल है। इसलिए इस वाद में आवेदक के आवेदन को खारिज किया जाए।

विपक्षी सं०–02 अपने कारणपृच्छा में कहते हैं कि यह वाद छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–71 "A" के अंतर्गत चलने योग्य एवं पोषणीय नहीं है तथा कालबाधित भी है। यह वाद गलत तरीके से लाया गया है। विपक्षी श्रीमती विद्या देवी ने सावित्री कुमारी से जमीन को निबंधित पट्टा से दिनांक–18.07.1983 में खरीदा है, तथा सावित्री कुमारी ने मो० सागिर से दिनांक–17.07.1959 में खरीदा है। तथा अब्दुल कलाम ने टाईटल सूट सं०–625/1961 में प्राप्त किया था, जिसके आधार पर सावित्री कुमारी को अब्दुल कलाम ने भूमि बेचा। यह वाद कालबाधित है तथा पोषणीय नहीं है। अतः इस वाद को खारिज किया जाए।

विपक्षी सं०–02 की ओर से गवाह प्रस्तुत किया गया, गवाह मो० नेसार अहमद, पिता–स्व० मो० ईशांक कहते हैं कि इस वाद में मैं विपक्षी सं०–01 हूँ, मैनें और अब्दुल कलाम ने 17 डिसमिल भूमि बुधु उराँव, घसिया उराँव, महादेव उराँव एवं पेरो उराँव से 1946 में खरीदा था। उसके बाद अब्दुल कलाम ने मुसिंफ न्यायालय, राँची में वाद दायर किया जिसका टाईटल सूट वाद सं०–625/1961 है। अब्दुल कलाम के पक्ष में डिक्री आदेश पारित हुआ तथा 1961 से दखल–कब्जा के साथ घर मकान बनाकर रह रहें हैं जिसपर लगभग 30,000 रूपया खर्च किए। गवाह सं०–02 मो० सदीक, पिता–स्व० मो० हबीब कहते हैं कि वर्णित भूमि पर 1965 ई० से घर–मकान बना हुआ है तथा उसपर घर–मकान बनाकर रह रहें हैं। आवेदक का 1946 से दखल–कब्जा नहीं है। गवाह सं०–03 चन्द्रशेखर मिश्रा, पिता–स्व० रामचन्द्र मिश्रा कहते हैं कि वर्णित भूमि पर मो० नेसार अहमद का दखल–कब्जा है एवं घर–मकान बना हुआ है। पुनः मो० नेसार अहमद की ओर से गवाही दी गई, वे अपने शपथ–पत्र में कहते हैं कि वर्णित भूमि पर 1962 से ही घर–मकान बनाकर रह रहें है। वे अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि जमीन का रजिस्ट्री पट्टा है, 1962–63 ई० से घर–मकान बनाकर रह रहें एवं हॉल्डिंग टैक्स कटता है। बिजली कनेक्शन मो० इजहार के नाम पर है। गवाह जालो देवी पति–सोहन गाड़ी अपने शपथ में

30/1/25

कृ०पृ०उल्टे

30/1/25

कहते हैं कि मैं मो० नेसार अहमद को 52 वर्षो से जानता हूँ, एवं वे प्रश्नगत् भूमि पर 52 वर्षो से घर–मकान बनाकर रह रहें हैं। ये अपने प्रतिपरीक्षण में कहते है कि 60–70 वर्ष पहले घर बना है जिसमें चापाकल–कुआँ है, बिजली लगा हुआ है तथा घर की चारदिवारी है।

यह कि यह वाद पूर्व में महादेव उराँव बनाम् अब्दुल कलाम वगै० के बीच वर्ष 2003 में चला, जिसका वाद सं०–994/2003–04, जिसमें दिनांक–29.04.2005 को आदेश पारित हुआ, "**जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सीटू साहू के मामले में पारित आदेश के आलोक में आवदेक का विपक्षी मो० नेसार अहमद के विरूद्ध भू–वापसी का आवेदन समय के बिन्दु पर कालबाधित है। आवेदक का मो० नेसार अहमद के दखल के 05 कट्ठा 05 छटाक, 35 वर्गफीट जमीन की वापसी का आवेदन खारिज किया जाता है।**"

इस आदेश के आलोक में महादेव उराँव माननीय उपायुक्त राँची के यहाँ अब्दुल कलाम के विरूद्ध अपील फाईल की जिसका वाद संख्या एस०ए०आर० अपील वाद सं०–2R15/2007-08 है, आदेश दिनांक–04.11.2011 को पारित हुआ।

" With the above observations the order passed by the learned Special Officer, Schedule Area Regulation, Ranchi in SAR Case No.-994/2003-04 on 29-04-2005 is set aside and the case is remanded to the Special Officer, Schedule Area Regulation, Ranchi to decide the case afresh after hearing both the parties giving them sufficient opportunities to be heard considering the above mentioned fact under the provisions of the C.N.T. Act."

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस किया गया तथा लिखित बहस भी दाखिल किया गया। इसमें कहतें हैं कि वर्णित भूमि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–71 "A" के अंतर्गत भू–वापसी का केस किए हैं। खतियान में भोसा उराँव का नाम दर्ज है यह अपने पीछे बुधु उराँव, राम उराँव, घसिया उराँव एवं भादो उराँव को को छोड़ गये। भादो उराँव अपने पीछे महादेव उराँव (आवेदक) को छोड़ गये। भोसा उराँव और इनके पुत्र भादे उराँव ने किसी व्यक्ति

30/1/25

कृ०पृ०उल्टे

30/1/25

को भूमि नहीं बेचे हैं। विपक्षीगण छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46 उल्लंघन करते हुए भूमि प्राप्त किए हैं। अनुसूचित जनजाति की भूमि को गैर–आदिवासी नहीं खरीद सकते हैं। विपक्षीगण द्वारा निंबधित पट्टा दाखिल नहीं किया और ना ही परमिशन लिया गया है। आवेदक भोसा उराँव के नाम पर दाखिल–खारिज है। विपक्षी का वर्णित भूमि पर 1961 से मकान है, जो विवादित है। विपक्षी द्वारा आर०आर०डी०ए० से नक्शा भी पास नहीं कराया। आवेदक के भाई ने वर्णित भूमि पर इन्दिरा आवास लेकर मकान बनाया। विपक्षी सं०–03, मो० नेसार अहमद को 1985 ई० में अब्दुल कलाम से Oral Gift से भूमि प्राप्त किया। मो० नेसार अहमद को इस वाद में विपक्षी सं०–03 के रूप में पक्षकार बनाया गया है। अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–71 "A" के अंतर्गत भूमि वापस होना चाहिए।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा बहस किया गया तथा लिखित बहस भी दाखिल किया गया, इसमें कहते हैं कि विपक्षी सं०–2 की वर्णित भूमि को निबंधित पट्टा द्वारा श्रीमती सावित्री कुमारी से वर्ष 1983 में खरीद कर हासिल किया है। श्रीमती सावित्री कुमारी ने सागीर अहमद से 1969 ई० भूमि खरीदा था। इसलिए यह वाद छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–71 "A" के अंतर्गत चलने योग्य नहीं है एवं कालबाधित है। अतः इस वाद को खारिज किया जाए। इस संबंध में विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा विभिन्न केस का हवाला दिए है।

"Situ Sahu & Or. Versus State of Jharkhand & Ors **[2004 (4) J C R 211(SC)]"**

"Md. Munna Ali & Anr. Versus State of Bihar **[2002 (3) J C R 121 (Jhr)]"**

विपक्षी सं०–03 के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बहस किया गया तथा लिखित बहस भी दाखिल किया। वर्णित भूमि के खतियानी रैयत भोसा उराँव अपने पीछे बुधु उराँव, राम उराँव, घसिया उराँव (नावल्द) भादे उराँव को छोड़ गये। आवेदक महादेव उराँव भादे उराँव का पुत्र है। आगे कहते हैं कि वर्ष 1946 ई० में वर्णित भूमि को मो० अब्दुल कलाम ने खरीदा और इसपर 08 कमरा का

30/1/25

कृ०पृ०उल्टे

30/1/25

पक्का मकान बनाकर रह रहें। जिसपर लगभग 30,000 रूपया खर्च हुआ। वर्णित भूमि पर मूंसिफ न्यायालय, राँची में एक टाईटल सूट चला जिसका वाद सं०–625/1961, बुधु उराँव बनाम् अब्दुल कलाम के बीच है। इसमें अब्दुल कलाम के पक्ष में डिक्री आदेश पारित हुआ, जो अब लगभग 50–60 वर्ष हो चुका है। तथा विपक्षी 1961 ई० से घर मकान बनाकर रह रहें है। अब्दुल कलाम ने 1985 ई० में नेसार अहमद को Oral Gift से भूमि 05 कट्ठा 05 छटाक और 35 वर्गफीट जमीन को दे दिए, जिसपर वे घर–मकान बनाकर रह रहें है। वर्णित भूमि पर एस०ए०आर० वाद श्री अभय कुमार राव, विनियमन पदाधिकारी, राँची के न्यायालय में महादेव उराँव बनाम् अब्दुल कलाम वगै० के बीच चला है। जिसका आदेश दिनांक–29.04.2005 को पारित हुआ। इसमें कालबाधित के आधार पर आवेदक के आवदेन का खारिज किया गया। इस वाद के आलोक में माननीय उपायुक्त राँची के न्यायालय में अब्दुल कलाम के विरूद्ध अपील फाईल की गई, जिसका एस०ए०आर० अपील वाद सं०–2R15/2007-08 है, आदेश दिनांक–04.11.2011 को दोनों पक्षों को समान अवसर देते हुए इस वाद को पुनः सुनने हेतु Remand किया गया। आगे कहते हैं कि यह वाद कालबाधित है। अतः आवेदक के आवेदन को खारिज किया जाए। इस संबंध में विभिन्न Citation दाखिल की गई :–

" That so far the law point is concern the Opp. Party rely PLJR 1993 (1) the decision of our High Court, Ranchi Bench Pronounced by Sri S.B. Sinha – J Pronounced that "section 71 A read with article 64 and 65 of limitation act 1963- " Any application filed after expiry of limitation will be barred " Third Proviso to section 71 A Merely by postulates. That in a case where a person has acquired title by advers possession recorse of the said provision may be take if the condition precedent therefore are satisfied (para 15) ..... 1993(i) in page 16."

" Md. Salimuddin @ Dhaiba Vs. Commissioner, South Chotanagpur Division, Ranchi." **Civil Writ Jurisdiction Case No. 1885 of 1986(R) (26-03-1991)**

"Sarju Sharan Sing C.W.J.C No. 1077/90(R), Chandreswar Prasad

कृ०पृ०उल्टे

30/1/25

Singh & ors. [C.W.J.C No. 1076/90(R)], Smt Sarda Devi & ors.[C.W.J.C No. 1075/90(R)], Dhaneshwar Singh & ors. [C.W.J.C No. 1074/90(R)] Versus The Sate of Bihar & ors. **Civil Writ Jurisdiction Case No. 1077, 1076, 1075 and 1074 of 1990 (R) (06-10-1993)"**

" Card Board Products (Gomin) & others Versus The State of Bihar and Others **Civil Writ Jurisdiction Case No. 2325 of 1993 (R) (19-08-1993)"**

" Budhwa Munda Vs. State of Jharkhand & Ors **WP(C) No. 6834 of 2004 (18.05.2012)"**

अतः दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं का बहस सुनने एवं कागजातों के अवलोकन से तथा विभिन्न गवाहों का बयान, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सीटू साहू के मामलें में पारित आदेशों को अवलोकन से इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि यह वाद समय के बिंदु पर कालबाधित है, अतः आवेदक के आवदेन को खारिज किया जाता है तथा वाद की कार्रवाई को समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

30/01/25

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

30/01/25

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2025.06.19 16:40:21 +05:30
Location: 192.168.128.39